मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1/1/0002/2026-GAD-3-01(GAD), भोपाल, दिनांक 26.05.2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागध्यक्ष,
समस्त संभाग आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश।

विषय: 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सी.पी.सी.टी. परीक्षा से छूट के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ: इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 3-35/84/3/1, दिनांक 15.11.1984 एवं परिपत्र क्रमांक 44/सी-3-6/91/3/1, दिनांक 16.01.1992.

संज्ञान में आया है कि कतिपय विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.11.1984 एवं परिपत्र दिनांक 16.01.1992 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए शासकीय सेवकों की परिवीक्षा समाप्त कर नियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है, जो उचित नहीं है।

2/ राज्य शासन के कार्यों को दक्षता से सम्पादित करने के लिए सेवाओं की अर्हताएं निर्धारित है। सहायक ग्रेड-3 के पद के लिए सी.पी.सी.टी. परीक्षा (computer proficiency certification test) भी अनिवार्य अर्हता निर्धारित की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.11.1984 एवं परिपत्र दिनांक 16.1.1992 हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा में छूट से संबंधित हैं, जबकि सी.पी.सी.टी. परीक्षा (computer proficiency certification test) कम्प्यूटर दक्षता से संबंधित है। हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा (Hindi Typing Test) एवं सी.पी.सी.टी. परीक्षा (computer proficiency certification test) पृथक-पृथक अर्हताएं है।

3/ अतः स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीपीसीटी से छूट के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और न ही कोई निर्देश जारी किए गये हैं। अतः ऐसे सभी आदेशों को निरस्त किया जाए, जिनमें सीपीसीटी परीक्षा से छूट प्रदान कर शासकीय सेवकों की परिवीक्षा समाप्त कर नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है साथ ही संबंधित अधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Kumari Suman Raikwar
Date: 26-05-2026
15:49:45

(सुमन रायकवार)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक 1/1/0002/2026-GAD-3-01(GAD), भोपाल, दिनांक 26.05.2026

प्रतिलिपि,

उप सचिव (स्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
म.प्र. शासन
सामान्य प्रशासन विभाग